

मूल वाद संख्या-01 दि. 201 न्यायाधीश  
जिला न्यायाधीश  
धौलपुर (राज०)

दिनांक : 17.11.2025

वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 6 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 07.11.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया गया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आधीन आदेश 16 नियम 6 जा. दी. दिनांक 28.01.2025 को स्वीकार किया जाकर पारस गुप्ता पुत्र अखलेश गुप्ता एवं विद्यावती पत्नी जमुनादास, इन्द्रवती पत्नी गुलाब सिंह, रामदेई पत्नी बेताल सिंह, राजवती पत्नी कैलाशचन्द से अपने अपने असल विक्रय पत्र न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने हेतु व्यक्ति हाजिर होने के लिए आदेशित किया गया था लेकिन साक्षी सम्मन पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट आई है कि साक्षीगण की मृत्यु हो चुकी है इसलिए न्यायहित में तलवीदा गवाह के स्थान पर उनके वारिसान से दस्तावेज तलब किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। साक्षीगण के वारिसान का विवरण निम्नांकित है—

- 1 विद्यावती (मृत)
- 1/1 राजवीर राजपूत
- 1/2 पप्पू राजपूत

निवासी जगता मटटा वाले वार्ड नं. 19 बडे जैन मन्दिर के पास कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर (राज.) मोबाइल नम्बर 9772407307

- 2 इन्द्रवती (मृत)

  
17/11/2025

जिला न्यायाधीश  
धौलपुर (राज०)